न्यायालय–अपर सेशन न्यायाधीश, सुजानगढ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी –: –: महेश सिंह मीणा,R.J.S.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध फौजदारी (जमानत आवेदन) संख्या : 79/2026
CNR : RJCH0D0003342026

भागूराम पुत्र श्री कोडूराम, उम्र 26 वर्ष, निवासी–वार्ड नं.24 बीदासर पुलिस थाना–बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)

–प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक, सुजानगढ़ जिला चूरू **–अप्रार्थी**

जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.
एफ0आई0आर0सं0–47/2026 पुलिस थाना–बीदासर जिला चूरू, अपराध अन्तर्गत धारा 85, 80(2), 61(2) बी0एन0एस0।

उपस्थिति :–

1. विद्वान अधिवक्ता श्री नरेश कुमार सोनी, श्री नवरत्न सैनी – वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त।
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्यामसुन्दर खण्डेलवाल – वास्ते राज्य।

:– आदेश –: दिनांकः 04.06.2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त भागूराम आपराधिक प्रकरण एफ0आई0आर0सं0–47/2026 पुलिस थाना, बीदासर जिला चूरू, अपराध अन्तर्गत धारा 85, 80(2), 61(2)बी0एन0एस0 के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में है जिसकी ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस न्यायालय के समक्ष जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलायी गयी जिन्होंने जमानत आवेदन से संबंधित मामले की तलवीदा केस–डायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की। बहस जमानत आवेदन सुनी गयी।

02. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों सहित अन्य तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि,प्रार्थी निर्दोष है,उसके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट से कोई अपराध नहीं बनता है। प्रकरण के सभी गवाहान पक्षधर पार्टी के है जिनको बहकाने–फुसलाने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी कस्बा बीदासर जिला चूरू का स्थाई निवासी है व उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी काफी समय से अभिरक्षा में है। यह निवेदन भी किया कि प्रार्थी पिछले वर्ष जयपुर में मजदूरी कार्य के दौरान 55 प्रतिशत जल गया जिस कारण वह बीमार रहता है,ऐसे में प्रार्थी के अधिक समय तक अभिरक्षा में रहने पर उसका ईलाज नहीं हो पायेगा,साथ ही अधिक समय तक अभिरक्षा में रहने से प्रार्थी के सामाजिक जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। प्रकरण में स्वतंत्र गवाहान

से तफ्तीश नहीं की है। प्रार्थी से किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई है,अब कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में पर्याप्त समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी को जमानत पर छोड़ा जावे।

03. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया एंव निवेदन किया कि, प्रार्थी के द्वारा अपनी पत्नी आरती(मृतका) के साथ दिनांक 23.11.2023 को विवाह होने के बाद से निरन्तर दहेज के लिये उसे तंग–परेशान किया गया,दहेज के लिये शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया जिसके परिणामस्वरूप मृतका के द्वारा प्रार्थी के रिहायशी मकान में फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या की गयी है। मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थिति में हुई है,विकल्पतः प्रार्थी की ओर से मृतका को आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित भी किया गया है। अब तक किये अन्वेषण से प्रार्थी के विरूद्ध धारा 85, 80(2) व वैकल्पिक रूप से धारा 108 बी0एन0एस0 के गंभीर अपराध प्रमाणित पाये है। अतः अपराध की गंभीर प्रकृति को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

04. उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया एंव केसडायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। केसडायरी पर प्रार्थी का निम्नांकित आपराधिक रेकॉर्ड मौजूद है :–

<u>आपराधिक रेकॉर्ड अभियुक्त</u>

क्र.सं.	मुकदमा संख्या	धारा	पुलिस थाना	आरोपपत्र संख्या/दिनांक	नतीजा कोर्ट
–	–	–	–	–	–

05. हस्तगत मामले की केसडायरी के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या यह प्रकट है कि, थानाधिकारी, पुलिस थाना,बीदासर जिला चूरू के समक्ष परिवादी–लालाराम के द्वारा दिनांक 07.04.2026 को प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट पर मामले की एफआईआर सं0–47/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 85, 80(2), 61(2)बी0एन0एस0 में दर्ज कर प्रकरण अन्वेषणाधीन है।

लिखित रिपोर्ट में परिवादी–लालाराम ने अपने भाई की लड़की आरती(मृतका) का विवाह दिनांक 23.11.2023 को भागूराम(प्रार्थी) के साथ होना व उसके ससुराल पक्ष में पति(प्रार्थी) एंव सास–ससुर आदि के द्वारा दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से बार–बार प्रताड़ित करना, दहेज के लिये आये दिन मारपीट करना व उक्त बातें अपनी भतीजी के द्वारा बताना कथन किया है। लिखित रिपोर्ट में परिवादी का कहना है कि कल दिनांक 06.04.2026 को उसकी भतीजी ने मेरे भतीजे मनीष को फोन कर बताया कि,''आज भी उसके साथ मारपीट की है''। उसकी भतीजी आरती(मृतका) ने पति,सास–ससुर व जेठ के द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की है।

केसडायरी के अवलोकन से यह दृष्टिगत है कि,घटनास्थल का नक्शा–मौका व हालात मौका तैयार किये गये जिनमें प्रार्थी भागूराम के कस्बा बीदासर में स्थित मकान में बने कमरे में छत के पंखे के हुक के फांसी का फंदा लगाकर आरती(मृतका) के द्वारा आत्महत्या करने की

स्थिति पाई गयी। इस प्रकार केसडायरी के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध आरोप यह बताया गया है कि, प्रार्थी का दिनांक 23.11.2023 को आरती(मृतका) के साथ विवाह होने के पश्चात् उसने अपनी पत्नी को दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रुरता कारित की जिसके परिणामतः आरती(मृतका) के द्वारा विवाह के सात वर्ष के भीतर आत्महत्या की गयी है। प्रकरण के अब तक किये अनुसंधान से पुलिस ने मृतका के साथ क्रुरता कारित की जाने व मृतका की दहेज मृत्यु कारित किये जाने के संबंध में धारा 85 व 80(2) बी0एन0एस0,विकल्पतः आत्महत्या के दुष्प्रेरित कृत्य कारित किये जाने के धारा 108 बी0एन0एस0 के अधीन दण्डनीय अपराध प्रथम दृष्ट्या पाये हैं। जहॉ तक प्रार्थी का यह निवेदन कि वह मजदूरी कार्य के दौरान 55 प्रतिशत जल गया व बीमार रहते उसका ईलाज चल रहा है। इस संबंध में प्रार्थी की ओर से ईलाज के दस्तावेज अवश्य पेश किये गये हैं किन्तु उक्त ईलाज के चिकित्सीय दस्तावेज वर्ष,2025 के है। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि वर्तमान में प्रार्थी 55 प्रतिशत जलकर ईलाजरत है। फलतः प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 85 व 80(2), 108 बी0एन0एस0 के गंभीर अपराध व इस संबंध में गवाहान के आये कथनों व अन्य साक्ष्य की स्थिति को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी व्यक्त किये बिना प्रार्थी को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं है।

–: आदेश :–

06. अतः प्रार्थी/अभियुक्त भागूराम पुत्र श्री कोडूराम, उम्र 26 वर्ष, निवासी–वार्ड नं.24 बीदासर जिला चूरू की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(महेश सिंह मीणा)
अपर सेशन न्यायाधीश,
सुजानगढ़, जिला चूरू

07. आदेश आज दिनांक **04.06.2026** को मेरे अनुलेख पर लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

(महेश सिंह मीणा)
अपर सेशन न्यायाधीश,
सुजानगढ़, जिला चुरू